न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 06/2021

बउनवान

1. रेवड़ीलाल उम्र 60 वर्ष पुत्र माधोलाल जाति माली, निवासी रावल जावल तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज.)
2. गणपत उम्र 61 वर्ष पुत्र मथुरालाल जाति माली निवासी रावल जावल तहसील मांगरोल जिला बारां (राज.)
3. तेजमल उम्र 45 वर्ष पुत्र गोपाल जाति माली निवासी रावल जावल तहसील मांगरोल जिला बारां (राज.) (अपीलांट)

बनाम

1. मोत्याबाई बेवा रघुनाथ जाति माली निवासी बमूलिया महाराज तहसील अन्ता जिला बारां (राज.)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0) (रेंस्पोडेंट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

अपील विरूद्ध इन्तकाल नं0 117 दिनांक 06.10.1977

उपस्थिति :– 1. श्री मदनलाल गालव एडवोकेट (अपीलांट)
2. परोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 19.07.2024

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वाके ग्राम रावल जावल तहसील मांगरोल की आराजी खाता संख्या 48 किता 10 रकबा 33 बीघा 1 बिस्वा एवं खाता संख्या 49 किता 20 रकबा 23 बीघा 5 बिस्वा भूमि के बाबत इन्तकाल नंबर 117 दिनांक 06.10.1977 खोलकर मृतक धूल्या के स्थान पर वारिस माधो पुत्र धूल्या हि. 1/4, गोपाल, धन्ना पुत्र बिरधीलाल हि. 1/4, प्रभू, गणपत, रामकुवार पुत्र मथुरा हि. 1/4 व मोत्याबाई बेवा रूघनाथ हि. 1/4 का नाम दर्ज किया गया है एवं खाता संख्या 49 मे से मृतक शंकरी का नाम खारिज किया गया है। उक्त इंतकाल बिना जांच किये गलत आधारों पर विधि के सिद्धान्तों के विपरीत खोला गया है जो निरस्तनीय है। खातेदार मृतक धूल्या पुत्र पन्ना के पुत्र बिरधीलाल, मथुरालाल, माधो व रूघनाथ थे जिनमे से पिता की मौजूदगी में माधो के अलावा तीनो पुत्र फोत हो गये थे जिनमे से बिरधीलाल व मथुरालाल के वारिस थे परन्तु रूघनाथ के कोई वारिस नहीं थे न ही उसकी पत्नि थी परन्तु इन्तकाल दर्ज करते समय आराजी में मोत्याबाई बेवा रूघनाथ का नाम हिस्सा 1/4 भाग में गलत दर्ज कर दिया गया जबकि इन्तकाल बिरधीलाल, मथुरालाल के वारिसों का हिस्सा 1/3–1/3 व माधो 1/3 भाग में खोलना चाहिये था। वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजीयात पर बिरधीलाल, मथुरालाल एवं माधो तथा उनके वारिस ही काबिज काश्त हैं एवं आराजी 1/3–1/3 भाग में विभाजित है। मोत्याबाई के पास कोई आराजी नहीं है और न ही कभी रही है। मोत्याबाई रूघनाथ की पत्नि नही है, रूघनाथ की मृत्यु के समय वह अकेले थे उनके पत्नि नहीं थी एवं वह अपने अन्य भाईयों के साथ सम्मिलित रहते थे उनके कोई सन्तान नहीं थी। अपीलान्ट ने कभी भी [illegible] रहते नहीं देखा न ही उसे जानते हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर [illegible] मांगरोल द्वारा खोला गया इन्तकाल नंबर 117 दिनांक 06.10.1977 निर[illegible] नाम खाते से हटाया जाकर धूल्या के वारिस [illegible] मथुरालाल, बिरधी[illegible] धूल्या के वारिसान के नाम हि. 1/3–1/[illegible] की आज्ञा पारित क[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.08.30 14:16:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पो. क्रम 1 की मृत्यु होना तथा उसके कोई वारिस नहीं होना अवगत हुआ। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी वाके ग्राम रावल जावल तहसील मांगरोल की खाता संख्या 48 किता 10 रकबा 33 बीघा 1 बिस्वा एवं खाता संख्या 49 किता 20 रकबा 23 बीघा 5 बिस्वा भूमि के बाबत इन्तकाल नंबर 117 दिनांक 06.10.1977 खोलकर मृतक धूल्या के स्थान पर वारिस माधो पुत्र धूल्या हि. 1/4, गोपाल, धन्ना पुत्र बिरधीलाल हि. 1/4, प्रभू, गणपत, रामकुंवार पुत्र मथुरा हि. 1/4 व मोत्याबाई बेवा रूघनाथ हि. 1/4 का नाम दर्ज किया गया है एवं खाता संख्या 49 मे से मृतक शंकरी का नाम खारिज किया गया है। जबकि रेस्पो. क्रम 1 रूघनाथ की पत्नि नहीं थी अपीलांट ने कभी भी रूघनाथ के साथ मोत्याबाई को नहीं देखा। रूघनाथ की मृत्यु के समय वह अपने भाईयों के साथ सम्मिलित रहते थे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त फरमावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अभिभाषक अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये कथन किया कि तहसीलदार मांगरोल ने बाद जांच अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज किया है। अपीलांट ने सन् 1977 में खोले गये इन्तकाल के विरूद्ध 43 साल बाद अपील पेश की है जो मियाद बाहर होने से निरस्तनीय है। रेस्पो. क्रम 1 की मृत्यु हो जाने तथा उसके कोई सुलफी वारिस नहीं होने की स्थिति में प्रचलित हिन्दू विधि अनुसार उसके हिस्से की आराजी स्वतः ही मृतक रूघनाथ के अन्य परिवारजन के नाम ही दर्ज होगी। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

हम पेरोकार सरकार के इस कथन से सहमत हैं कि रेस्पो. क्रम 1 की मृत्यु हो जाने तथा उसके कोई सुलफी वारिस नहीं होने की स्थिति में प्रचलित हिन्दू विधि अनुसार उसके हिस्से की आराजी स्वतः ही मृतक रूघनाथ के अन्य परिवारजन के नाम ही दर्ज होगी। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर,बारां

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.08.30 14:16:32 IST
Reason: SelfAttested